भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1005

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में**

**बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधाएं**

1005. श्री दिग्विजय सिंहः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों में छात्रावास खोले जाने का प्रावधन है;

(ख) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों की पहचान हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्ड में मात्र 100 बालिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था करने से लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो छात्रावासों के विस्तार की व्यवस्था कब तक की जाएगी?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क): जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के बालिका छात्रावास घटक के तहत और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कस्‍तूरबा गाधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) घटक के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में बालिका छात्रावासों की स्‍थापना करने का प्रावधान है।

(ख): शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों (ईबीबी) की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 46.13 प्रतिशत की राष्‍ट्रीय औसत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर (एफएलआर) और 21.59 प्रतिशत की राष्‍ट्रीय औसत से उच्‍च महिला-पुरूष साक्षरता अंतराल के संयुक्‍त मापदंड पर की जाती है।

(ग) और (घ): आरएमएसए के तहत माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍तर पर बालिका छात्रावासों की क्षमता 100 है तथा प्रारंभिक स्‍तर पर केजीबीवी में यह क्षमता 50 से 100 है। आज की तिथि के अनुसार, आरएमएसए के तहत 1118 बालिका छात्रावास कार्यात्‍मक हैं जिनमें 99870 बालिकाओं का नामांकन है। एसएसए के तहत, 3600 केजीबीवी प्रचालन में हैं जिनमें 3.66 लाख बालिका छात्राएं नामांकित हैं। वर्तमान में, इन छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

**\*\*\*\*\***